


तारीख  
हुक्म

22/12/2020

पत्रावली प्रेषा हुई। व कुलाम 342थे।  
 प्राथीगण के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया  
 कि ग्राम बुड़ियों की वासनी, लहरील -  
 बावडी के ख० नं. 119/01, 163, 170 में  
 प्राथीगण व अप्राथीगण के रहवासीय दागिया  
 व मकानात वस्त सेंटलमेन्ट से बने हुए हैं  
 एवं खसरा में दो रास्ते भी चल  
 रहे हैं एवं रास्ते के खसरा नं. 174 पर  
 नरेगा में संडक भी बनी हुई है जो  
 वर्तमान में चल रही है। प्राथीगण व  
 अप्राथीगण सं० 1 से 10 के खसरा नं.  
 119/1 व 170 के रास्ते की गलत तरीक  
 कर दी गई है जबकि खसरा नं. 119/1 के  
 पश्चिम माड के लहारे-लहारे रास्ता  
 चलता है जो लहरीलदार बावडी कारा  
 प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार EFGM  
 बिन्दु पर चलता है। परन्तु राजस्व  
 कार्यचारियों की गलती के कारण रास्ते  
 की ABC बिन्दु पर तमीम कर दी  
 गई। जबकि EFGM पर तैवल सडक  
 अप्राथीगण संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता  
 ने प्राथीगण के अधिवक्ता की बहस को  
 स्वीकार किया एवं तमीम दुरस्ती हेतु  
 निवेदन किया।  
 प्राथीगण एवं अप्राथीगणों की अधिवक्ता  
 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया  
 एवं अदमन किया। प्राथीगण के पत्र  
 पत्र को स्वीकार करते हुए एवं लहरीलदार  
 बावडी कारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी

लगातार

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

अनुसार ग्राम बूडियों की बावड़ी के  
खसरा नं. 170 व 119/1 के मध्य जो  
रास्ता ABCD बिन्दु से राजस्व  
बैकड में चलता था उसी छागह  
वर्तमान और मुम्किन रास्ता खसरा  
नं. 119/1 के पश्चिमी सहारे बिन्दु  
EFGH के स्थान पर तरमीम  
करने बाबत, तहसीलदार बावड़ी को  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार  
द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट इस  
आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार  
बावड़ी को मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान  
में चल रहे रास्ते के अनुसार राजस्व  
नकशे में तरमीम करने का आदेश  
दिया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर  
नम्बर से कम होकर देखिल दफ्तर  
है। फ़ैसला खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपसूचक अधिकारी, बावड़ी